

अध्याय 04: राज्य नीति के निदेशक तत्व (DPSP) एवं मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) — शॉर्ट नोट्स

1. (DPSP) — संवैधानिक पृष्ठभूमि, दार्शनिक आधार एवं विद्वानों के मत

| संवैधानिक आयाम        | संवैधानिक स्थिति एवं ऐतिहासिक स्रोत                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संवैधानिक अवस्थिति    | संविधान के भाग (IV) में अनुच्छेद 36 से 51 तक समाहित                                                                                                                    |
| ऐतिहासिक स्रोत        | आयरलैंड के संविधान (1937) से प्रेरित, जिसने इन्हें स्पेनिश संविधान से ग्रहण किया था                                                                                    |
| 1935 अधिनियम से साम्य | भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के साधन (Instrument of Instructions) के समरूप                                                                            |
| मूल अधिदेश व लक्ष्य   | कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की स्थापना करना तथा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र (Socio-Economic Democracy) को धरातल पर उतारना (पुलिस राज्य की अवधारणा को समाप्त करना) |

| प्रख्यात विद्वान / विधिवेत्ता        | नीति निदेशक तत्वों के संबंध में आधिकारिक मत / प्रसिद्ध कथन                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डॉ. बी.आर. अंबेडकर                   | (DPSP) भारतीय संविधान की 'अनोखी विशेषता (Novel Features of the Constitution)' हैं                                    |
| ग्रैनविल ऑस्टिन (Granville Austin)   | मूल अधिकार (Part III) एवं (DPSP) (Part IV) मिलकर 'संविधान की अंतराला (Conscience of the Constitution)' कहलाते हैं    |
| प्रो. के.टी. शाह (K.T. Shah)         | (DPSP) 'एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा/इच्छा पर छोड़ दिया गया है (Cheque payable at convenience of bank)' |
| डॉ. एल.एम. सिंघवी (L.M. Singhvi)     | निदेशक तत्व संविधान को जीवन देने वाली जीवन-धाराएं (Life-giving provisions) हैं                                       |
| सर आइवर जेनिंग्स (Sir Ivor Jennings) | (DPSP) को 'पुण्य आकांक्षाएं (Pious aspirations)' एवं फेबियन समाजवाद का प्रतिरूप माना                                 |

2. अनुच्छेद 36, 37 एवं संशोधनों द्वारा जोड़े गए नवीन (DPSP)

| आधारभूत अनुच्छेद              | संवैधानिक प्रावधान एवं विधिक प्रकृति                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद 36 ('राज्य' परिभाषा) | निदेशक तत्वों के संदर्भ में 'राज्य' का वही अर्थ है जो भाग (III) के अनुच्छेद 12 में दिया गया है (केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय व अन्य सांविधिक प्राधिकरण)                                                      |
| अनुच्छेद 37 (विधिक प्रकृति)   | (DPSP) न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं (Non-justiciable) हैं; फिर भी ये 'देश के शासन में मूलभूत (Fundamental in governance)' हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है |

| संविधान संशोधन | वर्ष | जोड़े गए नवीन नीति निदेशक तत्व एवं संवैधानिक प्रभाव                                                                                                                                                      |
|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42वाँ संशोधन   | 1976 | 4 नए अनुच्छेद जोड़े: (1) 39(f) — बच्चों का स्वस्थ विकास, (2) 39A — समान न्याय व गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, (3) 43A — उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, (4) 48A — पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण |
| 44वाँ संशोधन   | 1978 | अनुच्छेद 38 में खंड (2) जोड़ा: राज्य आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा                                                                                      |
| 86वाँ संशोधन   | 2002 | अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु बदली: 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखरेख एवं प्रारंभिक शिक्षा (6 से 14 वर्ष शिक्षा अनु. 21A में मूल अधिकार बनी)                                                  |
| 97वाँ संशोधन   | 2011 | अनुच्छेद 43B जोड़ा: सहकारी समितियों के स्वेच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना                                                                  |

3. (DPSP) का वैचारिक वर्गीकरण — (1) समाजवादी सिद्धांत

| अनुच्छेद     | समाजवादी सिद्धांत (Socialistic Principles) — सामाजिक-आर्थिक न्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद 38  | राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा; आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं की असमानता समाप्त करेगा [38(2)]                                                                                                                                                                                         |
| अनुच्छेद 39  | 6 विशिष्ट नीतिगत लक्ष्य: (a) सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन, (b) भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण जनहित में, (c) धन और उत्पादन साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम, (d) पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य हेतु समान वेतन, (e) कर्मकारों के स्वास्थ्य-शक्ति व बालकों की सुकुमार अवस्था का संरक्षण, (f) बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर |
| अनुच्छेद 39A | समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता (Free Legal Aid) उपलब्ध कराना                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अनुच्छेद 41  | काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निश्कतता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना                                                                                                                                                                                                                                  |
| अनुच्छेद 42  | काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करना तथा प्रसूति सहायता (Maternity Relief) का उपबंध करना                                                                                                                                                                                                                                             |
| अनुच्छेद 43  | सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी (Living Wage), शिष्ट जीवन-स्तर तथा अवकाश का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना                                                                                                                                                                                                                                           |
| अनुच्छेद 43A | उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों (Workers) की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाना                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अनुच्छेद 47  | पोषाहार स्तर और जीवन-स्तर को ऊंचा उठाना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य                                                                                                                                                                                                                                                   |

4. (DPSP) का वैचारिक वर्गीकरण — (2) गांधीवादी सिद्धांत

| अनुच्छेद     | गांधीवादी सिद्धांत (Gandhian Principles) — ग्राम स्वराज एवं कुटीर उद्योग                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद 40  | ग्राम पंचायतों का गठन करना और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों (Units of Self-Government) के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक शक्तियां व प्राधिकार प्रदान करना                  |
| अनुच्छेद 43  | ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों (Cottage Industries) को प्रोत्साहन देना                                                                   |
| अनुच्छेद 43B | सहकारी समितियों के स्वेच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन का संवर्धन करना (97वाँ संशोधन 2011)                                           |
| अनुच्छेद 46  | अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करना तथा सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा करना |
| अनुच्छेद 47  | औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह मादक पेयों (Intoxicating Drinks) तथा नशीले पदार्थों के उपभोग पर पूर्ण प्रतिषेध लगाना                                    |
| अनुच्छेद 48  | गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाना तथा उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास करना                                                                 |

5. (DPSP) का वैचारिक वर्गीकरण — (3) उदार-बौद्धिक सिद्धांत

| अनुच्छेद     | उदार-बौद्धिक सिद्धांत (Liberal-Intellectual Principles) — आधुनिकता व प्रगतिशील सोच                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद 44  | समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code — UCC): भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना (विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना); गोवा में पुर्तगाली सिविल कोड 1867; उत्तराखंड 2024 में (UCC) लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य |
| अनुच्छेद 45  | 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की बाल्यावस्था देखरेख एवं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना (86वाँ संशोधन 2002 द्वारा प्रतिस्थापित)                                                                                                                                                |
| अनुच्छेद 48  | कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों (Modern & Scientific Lines) से संगठित करना                                                                                                                                                                                                 |
| अनुच्छेद 48A | पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और देश के वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा करना (42वाँ संशोधन 1976)                                                                                                                                                                                               |
| अनुच्छेद 49  | संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व वाले ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं का संरक्षण करना                                                                                                                                                                                         |
| अनुच्छेद 50  | राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण (Separation of Judiciary from Executive) सुनिश्चित करना                                                                                                                                                                       |
| अनुच्छेद 51  | अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि: (a) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत संबंध, (b) अंतरराष्ट्रीय विधि व संधियों का आदर, (c) अंतरराष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता (Arbitration) द्वारा निपटारा                                                                                              |

6. मूल अधिकार (FR) बनाम नीति निदेशक तत्व (DPSP) — तुलना

| तुलनात्मक आधार        | मूल अधिकार (Fundamental Rights — भाग III)                                                      | नीति निदेशक तत्व (DPSP — भाग IV)                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संवैधानिक प्रकृति     | नकारात्मक (Negative) — राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं; राज्य को कुछ करने से रोकते हैं    | सकारात्मक (Positive) — राज्य को जनकल्याण हेतु कुछ विशिष्ट कार्य करने का निर्देश देते हैं               |
| न्यायिक प्रवर्तनीयता  | न्यायोचित (Justiciable) — हनन होने पर न्यायालय (अनु. 32/226) द्वारा सीधे लागू कराए जा सकते हैं | गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) — इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा विधिक रूप से लागू नहीं कराया जा सकता |
| लोकतांत्रिक लक्ष्य    | राजनीतिक लोकतंत्र (Political Democracy) की स्थापना करते हैं                                    | सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र (Socio-Economic Democracy) की स्थापना करते हैं                             |
| प्रतिबंध / संस्वीकृति | कानूनी संस्वीकृति (Legal Sanctions) प्राप्त है; उल्लंघन करने वाला कानून शून्य घोषित होता है    | नैतिक एवं राजनीतिक संस्वीकृति (Moral & Political Sanctions) प्राप्त है; जनमत की अदालत में जवाबदेही     |
| कल्याणकारी दृष्टिकोण  | व्यक्तिवादी (Individualistic) — व्यक्ति के अधिकारों व विकास को प्राथमिकता देते हैं             | समुदायवादी (Socialistic) — संपूर्ण समाज के सामूहिक कल्याण और समता को बढ़ावा देते हैं                   |
| स्वतः प्रवर्तन        | अधिकांश अधिकार स्वतः प्रवर्तनीय (Self-executing) हैं                                           | स्वतः लागू नहीं होते; इन्हें प्रभावी करने हेतु संसद द्वारा कानून बनाना अनिवार्य है                     |
| आपातकालीन स्थिति      | अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं                       | निलंबित नहीं होते; ये राज्य के निरंतर नीतिगत दिशा-निर्देश हैं                                          |

7. FR बनाम (DPSP) का न्यायिक संघर्ष — कालरेखा एवं ऐतिहासिक निर्णय

| न्यायिक वाद / घटना  | वर्ष | सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय एवं संवैधानिक टकराव                                                                                                                            |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चंपाकम दोरईराजन वाद | 1951 | मूल अधिकार सर्वोच्च हैं; FR और (DPSP) में टकराव की स्थिति में FR प्रभावी होंगे, (DPSP) उनके सहायक (Subsidiary) के रूप में कार्य करेंगे (संसद ने 1st संशोधन द्वारा अनु. 15(4) जोड़ा) |
| गोलकनाथ बनाम पंजाब  | 1967 | संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती, (DPSP) को लागू करने के लिए भी नहीं; मूल अधिकारों को अनुल्लंघनीय व अलौकिक दर्जा दिया गया                                              |

| न्यायिक वाद / घटना   | वर्ष | सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय एवं संवैधानिक टकराव                                                                                                                               |
|----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24वाँ व 25वाँ संशोधन | 1971 | अनुच्छेद 31C जोड़ा गया: यदि कोई कानून अनु. 39(b) व 39(c) के (DPSP) को लागू करने हेतु बनाया जाए, तो उसे अनु. 14, 19 के उल्लंघन पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा                                |
| केशवानंद भारती वाद   | 1973 | अनुच्छेद 31C के प्रथम भाग को वैध माना (39b व 39c की FR पर वरीयता स्वीकार); द्वितीय भाग (न्यायिक समीक्षा पर रोक) को मूल ढांचे के आधार पर अवैध घोषित किया                                |
| 42वाँ संशोधन         | 1976 | अनुच्छेद 31C का विस्तार कर सभी (DPSP) को मूल अधिकार (अनु. 14 व 19) पर सर्वोच्चता देने का प्रयास किया                                                                                   |
| मिनर्वा मिल्स वाद    | 1980 | सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय: 42वें संशोधन का विस्तार असंवैधानिक घोषित; संविधान की नींव FR और (DPSP) के संतुलन पर टिकी है — ये दोनों एक रथ के दो पहिए हैं' (संतुलन मूल संरचना) |

### 8. (DPSP) का क्रियान्वयन (संसदीय कानून, योजनाएं एवं राजस्थान)

| (DPSP) अनुच्छेद                    | प्रमुख विधायी कानून, राष्ट्रीय योजनाएं एवं राजस्थान की विशिष्ट पहल                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद 40 (पंचायती राज)          | राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का उद्घाटन (पं. जवाहरलाल नेहरू); 73वाँ व 74वाँ संविधान संशोधन 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा |
| अनुच्छेद 39(d) व 41-43             | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मनरेगा (MGNREGA 2005 — 100 दिन रोजगार गारंटी), कर्मकार प्रतिकर अधिनियम     |
| अनुच्छेद 39A (विधिक सहायता)        | विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (NALSA 1987) — गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता; लोक अदालतें एवं स्थाई लोक अदालतें                                                    |
| अनुच्छेद 47 व 48 (स्वास्थ्य/गोवंश) | राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA 2013); राजस्थान गोवंश पशु का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995        |
| अनुच्छेद 48A (पर्यावरण संरक्षण)    | वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम (NGT 2010), प्रोजेक्ट टाइगर (1973)          |

वर्तमान संवैधानिक स्थिति: केवल अनुच्छेद 39(b) और 39(c) में उल्लिखित समाजवादी (DPSP) को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के मूल अधिकारों पर वरीयता प्राप्त है (अनुच्छेद 31C के तहत); शेष सभी (DPSP) मूल अधिकारों के अधीनस्थ हैं।

### 9. मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) — पृष्ठभूमि, स्वर्ण सिंह समिति एवं 86वाँ संशोधन

| संवैधानिक आयाम           | संवैधानिक प्रावधान एवं ऐतिहासिक तथ्य (अनुच्छेद 51A)                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ऐतिहासिक प्रेरणा व स्रोत | पूर्व सोवियत संघ (USSR) के संविधान से प्रेरित; लोकतांत्रिक विश्व में केवल जापान के संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का विस्तृत उल्लेख है                             |
| संवैधानिक अवस्थिति       | 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में नया भाग (IVA) एवं नया अनुच्छेद 51A अंतःस्थापित किया गया                                                          |
| कर्तव्यों की संख्या      | 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे; 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वाँ मूल कर्तव्य जोड़ा गया                                                                     |
| विधिक प्रकृति एवं सीमाएं | गैर-न्यायोचित (Non-justiciable) — न्यायालय द्वारा सीधे दंडनीय नहीं; केवल भारतीय नागरिकों पर लागू (विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं); नैतिक एवं नागरिक कर्तव्यों का समन्वय |

| सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976)   | स्वीकृत सिफारिशें एवं संसद द्वारा अस्वीकृत प्रमुख बिंदु                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समिति का गठन व उद्देश्य          | 1976 में आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों पर सिफारिश हेतु गठित; समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी (संसद ने 10 जोड़े) |
| अस्वीकृत: कर भुगतान कर्तव्य      | समिति ने सिफारिश की थी कि 'कर अदायगी (Duty to pay taxes)' नागरिकों का एक मूल कर्तव्य होना चाहिए — इसे संसद ने अस्वीकार कर दिया                                    |
| अस्वीकृत: कर्तव्य उल्लंघन पर दंड | कर्तव्यों का पालन न करने पर संसद द्वारा दंड या सजा का प्रावधान करने की सिफारिश की गई थी — इसे स्वीकार नहीं किया गया                                               |
| अस्वीकृत: न्यायिक उन्मुक्ति      | दंड संबंधी कानून को किसी भी मूल अधिकार उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती न दिए जाने की सिफारिश की गई थी — इसे भी अस्वीकार कर दिया गया                           |

### 10. 11 मूल कर्तव्यों की आधिकारिक सूची [अनुच्छेद 51A(a) से 51A(k)]

| क्र. [खंड]  | मूल कर्तव्य की विषय-वस्तु [अनुच्छेद 51A]                                                                                    | कर्तव्य की प्रकृति |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. [51A(a)] | संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे                                         | नागरिक कर्तव्य     |
| 2. [51A(b)] | स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे           | नैतिक कर्तव्य      |
| 3. [51A(c)] | भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे                                                          | नागरिक कर्तव्य     |
| 4. [51A(d)] | देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे                                                                  | नागरिक कर्तव्य     |
| 5. [51A(e)] | भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे; महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कुप्रथाओं का त्याग करे | नागरिक + नैतिक     |

| क्र. [खंड]   | मूल कर्तव्य की विषय-वस्तु [अनुच्छेद 51A]                                                                                         | कर्तव्य की प्रकृति |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6. [51A(f)]  | हमारी सामासिक संस्कृति (Composite Culture) की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे                                 | नैतिक कर्तव्य      |
| 7. [51A(g)]  | प्राकृतिक पर्यावरण की (वन, झील, नदी और वन्यजीव सहित) रक्षा करे, संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे                  | नागरिक कर्तव्य     |
| 8. [51A(h)]  | वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific Temper), मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे                                   | नागरिक कर्तव्य     |
| 9. [51A(i)]  | सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे (Abjure Violence)                                                          | नागरिक कर्तव्य     |
| 10. [51A(j)] | व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे (ताकि राष्ट्र निरंतर नई ऊंचाइयों को छुए) | नागरिक कर्तव्य     |
| 11. [51A(k)] | 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे (86वाँ संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अंतःस्थापित)       | नागरिक कर्तव्य     |

### 11. न्यायमूर्ति वर्मा समिति (1999) एवं विधिक प्रावधान

| विधिक अधिनियम                                      | संबंधित मूल कर्तव्य एवं प्रवर्तन की कानूनी स्थिति                                                           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971             | संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अनादर दंडनीय अपराध [51A(a) का कानूनी प्रवर्तन]                     |
| सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955                  | जाति एवं धर्म से संबंधित भेदभाव व अस्पृश्यता के आचरण पर दंड [51A(e) का प्रवर्तन]                            |
| भारतीय दंड संहिता (IPC / BNS)                      | राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन व सांप्रदायिक वैमनस्य पर आपराधिक दंड [51A(c) व 51A(e)] |
| विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (UAPA 1967) | सांप्रदायिक व अलगाववादी संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने की शक्ति [51A(c)]                                  |
| लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951                      | धर्म, जाति, भाषा के आधार पर वोट मांगने या वैमनस्य फैलाने वाले प्रत्याशियों की अयोग्यता [51A(e)]             |
| वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 व वन संरक्षण 1980     | दुर्लभ वनस्पतियों, वन्यजीवों के शिकार व वनों के अंधाधुंध कटान पर कठोर दंड [51A(g)]                          |

### 12. भाग (IV) के बाहर संविधान में वर्णित अन्य निदेशक सिद्धांत

| अनुच्छेद      | संविधान का भाग | विषय-वस्तु एवं विधिक अधिदेश                                                                                                     |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद 335  | भाग (XVI)      | सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के दावों का ध्यान रखना (प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए) |
| अनुच्छेद 350A | भाग (XVII)     | भाषायी अल्पसंख्यक-वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का राज्य का प्रयास    |
| अनुच्छेद 351  | भाग (XVII)     | हिंदी भाषा के प्रसार, विकास और संवर्धन हेतु संघ का कर्तव्य, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके     |

### 13. (DPSP) (अनुच्छेद 36–51) एवं मूल कर्तव्य (51A) मास्टर संदर्भ

| अनु. | विषय / अधिदेश                                | अनु. | विषय / अधिदेश                                   |
|------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 36   | 'राज्य' की संवैधानिक परिभाषा                 | 44   | समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करना              |
| 37   | (DPSP) गैर-न्यायोचित, शासन में मूलभूत        | 45   | 6 वर्ष से कम बालकों की बाल्यावस्था देखरेख       |
| 38   | सामाजिक-आर्थिक न्याय व असमानता अंत           | 46   | SC, ST व दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक-आर्थिक हित   |
| 39   | 6 नीतिगत लक्ष्य (समान कार्य समान वेतन)       | 47   | पोषाहार स्तर, जीवन स्तर व महानिषेध              |
| 39A  | समान न्याय व मुफ्त कानूनी सहायता             | 48   | कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक संगठन             |
| 40   | ग्राम पंचायतों का स्वायत्त गठन               | 48A  | पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों की रक्षा             |
| 41   | काम, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार           | 49   | राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण          |
| 42   | काम की मानवोचित दशा व प्रसूति सहायता         | 50   | कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण          |
| 43   | कर्मकारों हेतु निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग | 51   | अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि    |
| 43A  | उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी | 51A  | 11 मूल कर्तव्य (स्वर्ण सिंह समिति 1976)         |
| 43B  | सहकारी समितियों का संवर्धन (97वाँ संशोधन)    | —    | 42वें/44वें/86वें/97वें संशोधन से (DPSP) समृद्ध |